कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर देहात।

पत्रांकः सीएफओ / अ0प्र0–रि0आ0 / 2022(05) दिनांकः अप्रैल 28, 2022

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
कानपुर देहात।

विषय– गाटा संख्या–179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपके पत्रांक–253 / जि0पू0अ0 / पे0उ0–अनु0 / 2022 दिनांकः 07.04.2022

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में गाटा संख्या–179 ग्राम गुटैया, थाना रूरा, तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं मानचित्र का अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा दृष्टिकोण से उपलब्ध करायी गयी स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांकः 18.04.2022 का अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया, जिसके आख्या निम्न प्रकार है :–

1. प्रस्तावित स्थल 07.00 मीटर चौड़े रूरा से झींझक रोड पर स्थित है। जहॉ अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते है।
2. वर्तमान समय में प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं है
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के भूखण्ड की माप 36 X 36 वर्गमीटर है।
4. रिटेल आउटलेट में आने जाने हेतु 02 मुख्यद्वार प्रस्तावित है जिनकी प्रत्येक की चौडाई 11.50 मीटर है तथा वफर स्ट्रिप का प्राविधान प्रस्तावित है।
5. मानचित्र में 20 केएल क्षमता का 01 एमएस अदद टैंक एवं 20 केएल क्षमता का 01 अदद एचएसडी टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था–:

1. समस्त प्रस्तावित निर्माण कार्य एन0बी0सी0–2016 एवं अन्य सम्बन्धित मानकों के अनुरूप कराया जाना आवश्यक होगा।
2. प्रस्तावित स्थल पर सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1686 एवं आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0 / ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान किया जाय।
3. प्रत्येक टैंक के लिए अलग अलग वेन्टपाइप का प्राविधान किया जाय जो आपस में जुडे नही होने चाहिए एवं ऊॅचाई 04 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारों ओर 04 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नही होना चाहिए।
4. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम–2002 एवं ओ0आई0एस0डी0–225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
5. टैंक लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग होना अति आवश्यक है।
6. लाइसेंसिंग एरिया में जनसेट बाक्स के पास सभी लाइटें फ्लेमप्रूफ होनी चाहिए।
7. प्रत्येक डिस्पेन्शर यूनिट पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
8. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण ओ0आई0एस0डी0 के अनुसार होना आवश्यक है।
9. ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर 09 के0जी0 क्षमता का प्रत्येक डिस्पेन्सिंग यूनिट पर 04 अदद व्यवस्थित किया जायेगा तथा एक अदद ए0एफ0एफ0एफ ट्राली माउन्टेड 45 ली0 क्षमता की व्यवस्था आवश्यक है।
10. स्थल पर 02 अदद फायर जेल ब्लैंकिटों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
11. जनरेटर रूम पर 09 के0जी0 क्षमता का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर दो अदद व्यवस्थित किया जायेगा।
12. प्रत्येक लुब्रिकेन्ट स्टोर में एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर 09 के0जी0 क्षमता का एक तथा सी0ओ0टू0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 के0जी0 क्षमता का एक अदद लगाया जायेगा।
13. विस्फोटक अधिनियम एवं पेट्रोलियम नियमावली के उपबन्धों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

425
28/04/022
पे0उ0अनु0
आ0का0सहा0
D.S.O

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

14. भण्डारण प्रांगण में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, प्रतिकियाओं एवं उनके गुण–दोषों की जानकारी के साथ–साथ अग्निशमन उपकरणों के संचालन एवं रख रखाव की जानकारी होना आवश्यक है।
15. सैण्ड बकेट प्रति यूनिट दो–2 अदद स्टैण्ड पर व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रस्तावित स्थल पर 100 घनफुट बालू का रिजर्व स्टाक रखा जायेगा।
16. मानचित्र पर अंकित 24 सुरक्षा विन्दुओं एवं अन्य विद्युत सुरक्षा निर्देशों को समायोजित करते हुए समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का अनुपालन किया जायेगा।
17. धूम्रपान निषेध तथा आपातकालीन टेलीफोन नम्बर पट्टिका व्यवस्थित की जायेगी तथा धूम्रपान निषेध का बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा जिसका अनुपालन आवश्यक होगा।
18. प्रस्तावित स्थल पर किसी भी ज्वलनशील/विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा।

अतः उपरोक्तानुसार निर्देश/अनुबन्धों का पालन करने की शर्त के साथ प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति आख्या इस शर्त के साथ अग्रसारित की जाती है, कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ/संचालन करने से पूर्व, वर्णित अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा व्यवस्थाओं का सत्यापन अग्निशमन विभाग से कराकर, अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना जनहित में अनिवार्य होगा, अन्यथा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र

28/04/22

(सुरेन्द्र सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर देहात।

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर–208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

प्रति हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर-देहात वन प्रभाग
कानपुर-देहात